न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 02/2017

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1. श्री सूरज कुमार फरोदा केशियर, आई.आर.सी.टी.सी. जनआहार, प्लेटफॉर्म नं0 1, रेल्वे स्टेशन, अजमेर (FBO)
   C/o IRCTC Regional Office, 708, 7th Floor, Crystal Mall, Sawai Jai Singh Highway, Banipark Jaipur - 302016
   घर का पता – ग्राम पोस्ट खांगता (Khangta), जिला जोधपुर (राज0) 342606
2. श्री मोहन सिंह सुपरवाईजर, (नोमिनी)
   IRCTC Regional Office, 708, 7th Floor, Crystal Mall, Sawai Jai Singh Highway, Banipark Jaipur - 302016
3. M/S IRCTC Regional Office, 708, 7th Floor, Crystal Mall, Sawai Jai Singh Highway, Banipark Jaipur - 302016
4. श्रीमति कोमल जेठानी (Proprieter Arawali Sales Agencies)
   Arawali Sales Agencies, Kavandaspura, Madar gate, अजमेर
   पता–C-45, Behind Ganpati Tower, Makarwali Road, अजमेर
5. M/S Arawali Sales Agencies, Kavandaspura, Madar gate, अजमेर

.......अप्रार्थीगण

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) एवं धारा 52 के तहत

उपस्थित :
1– श्री विभोर गौड़, वकील अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से।
2– श्री अमरसिंह राठौड़, वकील अप्रार्थी संख्या 4 से 5 की ओर से।

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर सत्यमेव जयते

–: आदेश :–

दिनांक–21.10.2021

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 दिंनाक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन, अजमेर ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीगण ने मिसब्राण्ड का उपयोग कर खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 मे निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन गजट नोटिफिकेशन की प्रति कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति माल खरीद, बिल असल, फार्म नम्बर 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद की अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 03.12.2015 को 10.00 ए.एम. खाद्य सुरक्षा अधिकारी आई.आर.सी.टी.सी. जनआहार, प्लेटफॉर्म नं0 1, रेल्वे स्टेशन, अजमेर पर पहूँचे श्री सूरज कुमार फरोदा (FBO) मौके पर उपस्थित मिले जो आम जनता को Dairy Based Drink Sterilised and Homogenised Amul Kool Mango Shakers के प्रत्येक 200 एम.एल. विक्रय कर रहे थे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के दौरान Dairy Based Drink Sterilised and Homogenised Amul Kool Mango Shakers में मिलावट का शक होने पर उनमे से नमूना जॉच हेतु 8 डिब्बा (Cane) प्रत्येक 200 एम.एल. वास्ते नमूना जॉच हेतु 240/– रूपये श्री सूरज कुमार फरोदा (FBO) को नगद देकर गवाह श्री कैलाश लाल एंटी मलेरिया खलासी अधीन सी.एच.आई. जयपुर के समक्ष क्रय करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री सूरज कुमार फरोदा (FBO) को सम्भलाकर रसीद प्राप्त करने खरीदशुदा 08 डिब्बा (Cane) को चार बराबर बराबर भागों (प्रत्येक में 2 डिब्बा 400 एम.एल.) में बांटकर चार लेबल पर डीओ के कोड क्रमांक NWR-188 दर्ज कर प्रत्येक लेबल पर हस्ताक्षर करते हुए चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर कराकर दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बंद कर चपडी सें सील मोहर कर, खाद्य विश्लेषक, अजमेर को शेष 2 सील बंद नमूना भाग फार्म नम्बर 6 की दो प्रति आउटर कवर मे सील बंद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को भिजवाये जाने का उल्लेख किया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी, उ.प. रेल्वे, जयपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/188/जेपी दिनांक 12.02. 2016 अनुसार खाद्य विश्लेषक राजस्थान, जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस–4118/ एक्ट/2015/193 दिनांक 13.01.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच उपयोग में लिया गया Dairy Based Drink Sterilised and Homogenised Amul Kool Mango Shakers मिसब्राण्ड होना पाया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 17.01.2017 को प्रस्तुत हुआ।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 17.01.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। अप्रार्थीगण ने जरिये वकील उपस्थित हुए एवं जवाब नोटिस पेश किया। तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई। उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद मे वर्णित तथ्यों को पढकर अवगत करवाया। वरवक्त बहस अप्रार्थी संख्या 1 ने पुनः जवाब नोटिस पेश कर कथन किया कि उपरोक्त त्रुटि निर्धारित नियमों की पूर्ण जानकारी नहीं होने के कारण अज्ञानतावश हुई है। अब

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं की जाएगी। अप्रार्थी ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद मे उन पर लगाये गये आरोपों को स्वीकार करते हुए यह अनुरोध किया कि उनके द्वारा Dairy Based Drink Sterilised and Homogenised Amul Kool Mango Shakers का उत्पादन नहीं किया जाता है बल्कि पैक अवस्था में खरीदा जाता है। उनके द्वारा किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है। भविष्य में इस तरह की कोई गलती नही की जायेगी। उस पर कम से कम जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण को ड्रॉप किया जाये। चूंकि परिवाद में अप्रार्थी संख्या 1 ने न्यायालय हाजा मे उपस्थित होकर अपना जुर्म कबूल किया तथा लिखित में जवाब प्रस्तुत किया एवं न्यूनतम शास्ती राशि लगाने हेतु निवेदन किया। अभियुक्त द्वारा जुर्म कबूल कर लिये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं परिवाद मे वर्णित गवाहान को साक्ष्य हेतु बुलाना उचित नहीं समझा गया। परिवाद मे वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजों खाद्य विश्लेषक, अजमेर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर विक्रय किया गया Dairy Based Drink Sterilised and Homogenised Amul Kool Mango Shakers मिसब्राण्ड होना पाया गया, जिसके लिए अभियुक्त दोषी प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) के तहत अवमानक पदार्थ बेचने का दोषी है। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ती आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। चूंकि अप्रार्थी द्वारा प्रथम अपराध कारित किया गया है, अतः न्याय हित में इस चेतावनी के साथ उन्हें हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में इस प्रकार का अपराध पुनः कारित नहीं करेंगे। इस आशय का शपथ–पत्र भी उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश करना होगा। उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थी संख्या 1 अभियुक्त को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है क्योंकि अप्रार्थी अभियुक्त ने उस पर लगाये गये आरोप को स्वीकार कर भविष्य में इस तरह की गलती की पुनरावृति नही किये जाने हेतु आश्वस्त किया है। परन्तु अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अप्रार्थी अभियुक्त श्री सूरज कुमार फरोदा (FBO) को रु 5000/– (अक्षरे पांच हजार रूपये मात्र) शास्ती आरोपित की जाती है। अभियुक्त उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 21.10.2021 से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 21.10.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्याय निर्णायक अधिकारी
अजमेर

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2021/ दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

2– अभिहित अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा निदेशक, उत्तर पश्चिम रेल्वे, जवाहर सर्किल, जयपुर